

सी.एस.जी.नं.

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24.9.19/या.पत्र

दरम्यान वनाम जितेंद्र सिंह

तारीख पेशी

0.41 R 31/19
2019/10245
हुकूम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकूम की तामील जारी हुए

24.9.19

श्री एन.के.वी. श्री अजमेर (1) जाम्बा (1) 5

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 हेतु पेश हुई । विद्वान वकील आवेदनकर्ता/रेस्प0 संख्या 1 का कथन है कि अपीलाधीन भूमि में 3/4 हिस्सा आवेदनकर्ता/रेस्प0 का एवं 1/4 हिस्सा अप्रार्थी/अपीलांट का है । अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं सहमति से बंटवारे की प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.7.2011 को पारित की गई परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट हरजी के द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 132/2018 पेश की गई जिसके कोई भी नोटिस अथवा सम्मन आवेदनकर्ता/रेस्प0 को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि आवेदनकर्ता/रेस्प0 संख्या 1 दिनांक 8.6.2018 से दिनांक 12.6.2018 तक ग्राम पीसांगन में नहीं रहा बल्कि इस अवधि में गुडगांव-हरियाणा में अपने माता-पिता के पास गया हुआ था । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट दिनांक 11.6.2018 गलत है तथा तामील कुनिन्दा द्वारा आदेश 5 नियम 16 व 18 जा0दी0 की पालना नहीं की गई । आदेश 5 नियम 16 के अनुसार जहां तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की प्रति स्वयं को या निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है तो निविदत करता है वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत की गई हो उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सम्मन तक पृष्ठांकित की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे तथा नियम 18 जिसमें तामील करने के समय रीति का पृष्ठांकन-व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है पहचाना और जो सम्मन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था उसका नाम व पता कथित करने वाली विवरणी मूल सम्मन पर पृष्ठांकित करेगा या करायेगा या मूल सम्मन में उपाबद्ध करेगा या करायेगा । तामील कुनिन्दा कोई पालना नहीं की गई है । परन्तु तामील कुनिन्दा की गलत रिपोर्ट के आधार पर हाजा न्यायालय आवेदनकर्ता/रेस्प0 के विरुद्ध एकतरफा निर्णय दिनांक 27.11.2018 को पातिर कर दिया जिसमें प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं मिला । इस कारण प्रार्थी/रेस्प0 का आवेदन स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.11.2018 को अपास्त किया जावे एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ।

जवाब में विद्वान वकील अपीलांट/अप्रार्थी का कथन है कि तामील कुनिन्दा द्वारा विधिनुसार सम्यक रूप से आवेदनकर्ता को तामील कराई गई है । आवेदनकर्ता/रेस्प0 को अपील की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद भी जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ इस कारण मान0 न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.11.2018 विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हाजा न्यायालय की अपील पत्रावली 132/2018 में उपलब्ध नोटिस दिनांक 20.6.2018 जो आवेदनकर्ता/रेस्प0 संख्या 1 को जारी किये गये थे, का अवलोकन किया गया । उक्त नोटिस पर आवेदनकर्ता/रेस्प0 संख्या 1 जितेंद्र को किसकी उपस्थिति में नोटिस तामील कराया गया उसका नाम, पता व समय अंकित नहीं किया गया है । जबकि आदेश 5 नियम 16 व 18 के अनुसार यह आवश्यक है कि तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन/नोटिस जिस साक्षी की उपस्थिति में तामील करवावे उसका नाम-पता व समय अंकित करना आवश्यक है । तामील कुनिन्दा द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की है । तामील की गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर


जितेंद्र

जीमांश

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24/10/2019

बनवान हरजी बनाम जितेन्द्र व अन्य

तारीख पेशी 24/10/2019	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री <u>बनवान हरजी</u> श्री <u>जितेन्द्र गौतमजी</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील जारी हुए
अज्ञात	<p>तामील रिपोर्ट के आधार पर हाजा न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 132/2018/223 (2018/00132) बनवान हरजी बनाम जितेन्द्र व अन्य में पारित निर्णय व डिफ्री दिनांक 27.11.2018 को अपास्त किया जाता है तथा अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पुनः तलब की जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 14.10.19 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;">  राजरज अपील प्राधिकारी अजमेर </p>	